राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

क्रमांक : एफ.27( )आयु.उद्योग/स्टोर अनु./कम्प्यूटर क्रय/2018–19 दिनांक : 13.2.19

:: निविदा सूचना ::

उद्योग विभाग में उपयोग हेतु कम्प्यूटर एवं लैपटॉप की खरीद हेतु विनिर्माताओं/अधिकृत डीलरों से निर्धारित प्रपत्र में मोहरबन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं :–

S.No	Proposed Specification	Proposed Quantity	अनुमानित लागत	धरोहर राशि
1.	All-in-One-Computer	12	50.00 Lacs	1,00,000
2.	Multi Functional Laser Printer (Print, Copy, Scan)	52		
3.	Notebook	40		

बिड फार्म विक्रय दिनांक एवं समय	15.02.2019 को प्रातः 11:00 बजे से 05.03.2019 को 4:00 PM तक
बिड फार्म प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	07.03.2019 को 1:30 PM तक
बिड फार्म खोले जाने की तिथि एवं समय	07.03.2019 को 3:30 PM
बिड फार्म सामने अंकित वैब साईट से भी डाउनलोड की जा सकती है।	sppp.raj.nic.in www.industries.rajasthan.gov.in
बिड फार्म की वैद्यता अवधि	90 days from the date of opening of Bid

प्रदाय की जाने वाली सामग्री का विस्तृत विवरण बिड फार्म के साथ संलग्न है।
बिड फार्म का शुल्क 400/- रूपये हैं।

भवदीय,

आयुक्त, उद्योग

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

:: निविदा पत्र ::

All-in-One Computer, Multi Function Printer एवं Notebook के क्रय हेतु बिड प्रपत्र

निविदा सूचना क्रमांक : एफ.27(   )आयु.उ./स्टोर/कम्प्यूटर सामग्री क्रय/2018–19 दिनांक :

1.	बिड प्रपत्र प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पता	(अ)	संस्था/कार्यालय/एजेन्सी ....(मय टेलीफोन नम्बर)
		(ब)	संस्था/कार्यालय/एजेन्सी ....(मय टेलीफोन नम्बर)
2.	बिड प्रपत्र का मूल्य रूपये 400/- (अक्षरे चार सौ मात्र) (अप्रतिदेय)	–	रसीद संख्या .... दिनांक............
3.	बोली प्रतिभूति 2 प्रतिशत की दर से (सामग्री जिनकी दरें दी गई, के मूल्य का 2% प्रतिशत)	–	बैंक ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक....................राशि........................ रूपये बैंक का नाम.............................. ....
4.	बिड प्रपत्र विक्रय की अन्तिम दिनांक		दिनांक 05.3.2019 सायं 4:00 बजे तक
5.	बिड फार्म जमा करने एवं प्राप्त भरे हुए निविदाओं को खोलने की दिनांक एवं स्थान	–	दिनांक 07.03.2019 को दोपहर 1:30 बजे तक प्रस्तुत की जाकर दिनांक 07.03.2019 को सायं 3:30 बजे अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (प्रशासन) के कक्ष में।

अतिरिक्त निदेशक
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर

6. मैं/हम आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना क्रमांक : एफ.27( )आ.उ./ स्टोर अनु./ कम्प्यूटर सामग्री क्रय/2018–19 दिनांक .... में वर्णित समस्त शर्तों तथा संलग्न पत्रों **(जिसमें समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं)** में दी गई समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है।

7. सामग्री वॉरण्टी स्थलों का टेन्टेटिव विवरण संलग्न है।

8. फर्म द्वारा क्रयादेश प्राप्त करने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि के भीतर माल की सुपुर्दगी दी जावेगी।

9. यह निविदा वार्षिक आधार पर है, जो समय–समय पर कार्यालय की आवश्यकतानुसार क्रयादेश के लिए होगी एवं प्रस्तुत समस्त दरें अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी।

10. GST के तहत पंजीकरण/एस.एस.आई. पंजीयन प्रमाण पत्र/पी.पी.सी. प्रमाण पत्र संलग्न है।

11. मै/हम स्वामी/भागीदार फर्म के यह अधिघोषित करते है कि किसी भी राजकीय विभाग (जिसमें स्थानीय निकाय बोर्ड, निगम सम्मिलित है) द्वारा हमारे व्यवसायिक लेन–देन पर रोक नहीं लगाई गई है।

12. वस्तुओं का मेक व कम्पनी का नाम, दर व अनुमानित मात्रा की कुल राशि निविदादाता द्वारा भरी जायेगी। यदि इन आईटमों पर कोई राजकीय कर देय हो, तो उसका उल्लेख दरों के साथ किया जाये अन्यथा बाद में टेक्स देय नहीं होगा।

13. **सामग्री की मात्रा कम–अधिक की जा सकती है तथा समय–समय पर आवश्यकतानुसार करके Split क्रयादेश दिये जा सकेंगे।**

14. **निविदा फार्म जमा कराने के साथ संलग्न प्रपत्रों का विवरण :–**

    1. ....
    2. ....
    3. ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

अतिरिक्त निदेशक
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर

बिड हेतु संबंधित संस्था/कार्यालय/एजेन्सी के लिए संविदा की शर्तें

नोटः– **निविदादाता को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा निविदाएं भेजते समय इसकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए, प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित होना चाहिए।**

1. **निविदाओं को निविदा सूचना** (निविदा फार्म) में दिये गये निर्देशों के अनुसार सम्बोधन तथा मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी चाहिए।
2. **निविदायें कम्पनी के अधिकृत विक्रेता एवं उत्पादनकर्ता द्वारा दी जायेगी।** अतः वे एस. आर. 11 में घोषणा प्रस्तुत करेगें।
3. **वाणिज्य कर विभाग, राजस्थान** सरकार के नियमों के तहत GST के अधीन फर्म पंजीकृत होनी चाहिए।
4. **निविदा प्रारूप स्याही से भरा** जायेगा या टंकण से भरा जायेगा। पैंसिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
5. **दरें नियत स्थान पर शब्दों एवं अंकों** दोनों में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटियां **(Errors)**/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हों, तो ये स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए। दरों में GST की राशि पृथक से दिखाना चाहिए।
6. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए। **सरकार द्वारा कोई गाड़ी भाडा** कार्टेज या परिवहन प्रभारों का भुगतान नही किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी आयुक्तालय उद्योग भवन (भण्डार) में की जायेगी।
7. 1. <u>दरों की तुलना</u> : राजस्थान के बाहर की फर्मों द्वारा तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों द्वारा, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान की हकदार नहीं है, द्वारा निविदा दरों की तुलना करने में GST की राशि को शामिल नहीं किया जायेगा, जबकि केन्द्रीय वैट को इसमें शामिल किया जाएगा।
   2. राजस्थान के भीतर की फर्मों के संबंध मे दरों की तुलना करते समय GST की राशि को शामिल किया जायेगा।
   3. सामान की आपूर्ति में उसी तरह की सामान/मात्रा की बाजार में उपलब्ध सामान/मात्रा की कीमत से अधिक नहीं होनी चाहिए, यदि ऐसा पाया जाता है, तो विभाग नियमानुसार कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
8. **<u>मूल्य अधिमान</u>** : मूल्य अधिमान राजस्थान के लघु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर के उद्योगों ,द्वारा उत्पादित/विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय **(राजस्थान के उद्योगों को विधि मान्यता) नियम, 1995 के अनुसार दी जायेगी।**
9. **<u>विधि मान्यता</u>** : निविदायें, उनके खोले जाने की दिनांक से तीन माह तक की अवधि के लिए मान्य होगी।
10. **अनुमोदित प्रदायकर्ता** के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाली अनुमोदित वस्तुओं की दशा स्पेसीफिकेशन, साईज, मेक व ड्राइंग्स आदि की विभाग में उपलब्ध सैम्पल के अनुसार सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसीफिकेशन, ड्राइंग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो यह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे, स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

अतिरिक्त निदेशक
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर

11. **ठेकेदार अपनी संविदा को** या किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उपभाड़े **(Sublet)** पर नहीं देगा।

12. **विशेष विवरण** :-

(1) प्रदाय की गई सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन ट्रेड मार्क के पूर्णतया अनुरूप ही होगी। अन्य प्रकार की स्पेसीफिकेशन की प्रेषित दरें मान्य नहीं होगीं।

(2) वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य प्रदार्थों के मामलें में जहां कोई स्तरीकृत या अनुमोदित नमूना न हो, अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं स्पेसीफिकेशन के अनुरूप हैं तथा क्या सैम्पल यदि कोई जो, के अनुसार है, किया गया निर्णय निविदादाताओं के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।

13. **निरीक्षण** :-

(1) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत, प्राधिकृत, प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जायेगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चित किया जाएगा, किसी भी समय मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति रखेगा।

(2) निविदादाता अपने कार्यालय के परिसर गोदाम एवं वर्कशॉप का जहां पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देंगे, जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में जो व्यवसाय में नये रूप में प्रविष्ठ हुए हैं, उन्हें बैंकर्स से एक परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

14. **सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी,** उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे अनुमोदित स्पेसीफिकेशन नमूनों के अनुरूप है या नहीं।

15. **सैम्पल** : अनूसूची में अंकित वस्तुओं के लिए निविदाओं के साथ निविदा वस्तुओं का ब्रोशर/ स्पेसीफिकेशन प्रस्तुत किये जायेगें। यह संलग्न नहीं होने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

16. निविदा में दरें वार्षिक दर संविदा के अन्तर्गत चाही गई हैं। अतः उक्त दरें निविदा अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष तक के लिए वैध होंगी तथा सामग्री के क्रयादेश आवश्यकता अनुसार समय-समय पर दिये जायेगें। सामग्री क्रय की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अतिरिक्त निदेशक
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग,
राजस्थान, जयपुर

17. प्रदाय जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं,, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहां पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

18. <u>नमूने निकालना</u> : परीक्षणों के मामलें मे, निविदादाता व उसके प्राधिकृत प्रतिनिधी की उपस्थिति में चार सेटों में नमूने लिये जाएंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबंद किया जाएगा। उनमें से एक सैट उन्हें दे दिया जाएगा, एक या दो सैटो को प्रयोगशालाओं एवं या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सेट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिपादित किया जाएगा।

19. **<u>परीक्षण प्रभार</u>** : परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किया जावेगा, यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता हो, कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों या स्पेसीफिकेशन के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।

20. <u>रद्द करना</u> :

1. निरीक्षण या परीक्षण दौरान जो वस्तुऐं अनुमोदित नहीं की जाएगी, उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदलेगा।
2. तथापि यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से उन वस्तुओं को बदलना साध्य **(Feasible)** नहीं समझा जाये, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किये जाने का एक उचित अवसर देकर ऐसे कारणों से, जो अभिलेखित किये जायेंगे, अनुमोदित दरों में उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।

21. **रद्द की गई वस्तुओं को** निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा। इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकारी होगा।

अतिरिक्त निदेशक
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग,
राजस्थान, जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर

22. **निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए** उत्तरदायी होगा, ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गंतव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि/क्षति, टूटफूट या रिसाव, लीकेज या किसी कमी के होने के मामले में निविदादाता माल की कार्यालय द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किये जाने पर पायी गई, ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जायेगी।

23. **प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की** सप्लाई क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत **(Repudiate)** कर सकता है तथ इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

24. निविदादाता को उसके प्रतिनिधि की ओर से "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की आर्हता **(Disqualification)** होगी।

27.
1. **सुपुर्दगी अवधि** :– निविदादाता, जिस संस्था की निविदा स्वीकार की जाएगी, सप्लाई एवं इन्स्टालेशन आदेश की तारीख से 15 दिवस की अवधि के भीतर कार्यालय में सामान सप्लाई/इन्स्टालेशन करने की व्यवस्था करेगा।
2. **मात्रा की सीमा–आदेश को फिर से देना** :– यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित मात्रा में पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश भी निविदा में दी गई शर्तों पर ही दिये जा सकेंगे, परन्तु शर्त यह है कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप से खरीदी गई मात्रा की 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिए होगें। यदि निविदादाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहाता है तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जायेगी, उसकी निविदादाता से वसूली की जायेगी।
3. यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता को किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।
4. प्रदाय की गई सामग्री की आपूर्ति/इन्स्टालेशन कार्यालय आयुक्त, उद्योग, जयपुर में किया जायेगा, किन्तु आपूर्ति की गई सामग्री की वॉरण्टी आयुक्त, उद्योग द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों को उपलब्ध करवाने के स्थान पर ऑन लाईन वॉरण्टी देनी होगी। (सूची संलग्न है)

निविदादाता के हस्ताक्षर

अतिरिक्त निदेशक
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग,
राजस्थान, जयपुर

28. **<u>बयाना राशि :–</u>**

(1) निविदा के साथ फर्म द्वारा जिन–जिन सामग्री की दरें दी जा रही हैं, उसके क्रय मूल्य का 2% बयाना राशि प्रस्तुत की जावेगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी भी रूप में जमा कराई जानी चाहिए।

(i) नकद शीर्ष 8443 सिविल निक्षेप–103–प्रतिभूति निक्षेप के अन्तर्गत ट्रैजरी चालान से जमा कराया जाना चाहिए।

(ii) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक से **(जयपुर में भुगतान योग्य)**

(2) **बयाना राशि का प्रतिदाय (रिफण्ड ऑफ अर्नेष्ट मनी)** असफल निविदादाता/संस्था की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशीघ्र लौटायी जायेगी।

(3) **<u>बयाना राशि से छूट</u>** :– जो फर्मे आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर के जिला उद्योग केन्द्रों के पास पंजीकृत है, उन्हें उन मदों के संबंध में, जिनके लिए वे उक्त रूप में पंजीकृत है, बयाना राशि नियमानुसार छूट देय होगी, किन्तु इस शर्त के अध्यधीन है कि पंजीयन प्रमाण पत्र मूल रूप में या उसकी एक फोटोस्टेट कॉपी या उसकी किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित एक प्रति आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान से प्राप्त सक्षमता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगीं।

(4) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है।

(5) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नई निविदाओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नही किया जायेगा यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

29. **<u>बयाना राशि का समपहरण</u> :– बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जायेगा :–**

1. जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व ही प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण **(Modification)** करता है।
2. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नही करता हैं।
3. जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद भी प्रतिभूति राशि जमा नही कराता है।
4. जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई क्रय आदेश के अनुसार कार्य करने में असफल रहता हो।
5. जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

अतिरिक्त निदेशक
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर

30. (1) <u>करार एवं प्रतिभूति निक्षेप</u> :–

1. सफल निविदादाता को आदेश प्राप्त होने से 7 दिवस के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र 500/- रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों के लिए निविदाएं स्वीकार की गई हैं, उनके मूल्य के 5% के बराबर प्रतिभूति राशि भी जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, से 15 दिन के भीतर जमा कराई जायेगी। **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम–75 के अनुसार राजस्थान के लघु उद्योगों के लिए 1% एवं रूग्ण उद्योगों की दशा में 2% प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जायेगी।**
2. निविदा के समय जमा कराई गई बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नही होगी।
3. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगे :–
   1. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/चालन की रसीद प्रति।
   2. डाकघर बचत बैंक पासबुक जिसे विधिवत गिरवी **(Pledge)** रखा जायेगा।
   3. अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत, योगजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र, डिफेन्स सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार किया जायेगा।
5. एक समय पर खरीद के मामलें कार्यादेश के अनुसार मदों को अन्तिम सप्लाई से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी के सान्तर **(Staggered)** किया जाता है तो दो माह के भीतर उसके लिए संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी की अवधि, यदि कोई हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्व कोई देय बकाया **(Outstanding)** नहीं है, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जायेगा।
6. आयुक्त उद्योग विभाग, राजस्थान द्वारा पंजीकृत फर्मो को उन सामानों के सम्बन्ध में जिस सामान हेतु इकाई पंजीकृत है, निविदादाता द्वारा उद्योग विभाग के कार्यालय से जारी पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किये जाने पर बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जायेगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के एक प्रतिशत की दर से प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी।
7. केन्द्र सरकार एवं राज. सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होगें।

(2) <u>प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण</u> :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जायेगा :–

1. जब संविदा के किन्हीं निबन्धनों और शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।
2. जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय को सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
3. प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामलें में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में कार्यादेश जारी करने वाले अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) **करार पत्र को पूर्ण करने एवं** उस पर स्टाम्प लगने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार पत्र की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रति पड़त (काउन्टर फाईल) निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

अतिरिक्त निदेशक
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग,
राजस्थान, जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर

31. **समस्त प्रदाय सामग्री रेल्वे/गुड्स ट्रांसपोर्ट के माध्यम से** भाड़ा चुकाकर ही भेजा जायेगा। अगर भाड़ा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता (**Supplier**) के बिल में से उस भाड़े के 5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी।

32. **<u>बीमा</u>** :

1. सामान्य गन्तव्य कार्यालय भण्डार/गोदाम पर सामग्री का प्रदाय किया जायेगा। यदि सप्लायर चाहे तो यह मूल्यावान सामानों को चोरी, नाश या क्षय या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे युद्ध, दंगा आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
2. यदि क्रेता द्वारा चाहा गया तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा।

33. **<u>भुगतान</u>** :

1. राशि का भुगतान माल अच्छी हालत **According to specification** के प्राप्त/इन्स्टालेशन होने पर अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (स्टोर अनुभाग) द्वारा निविदादाता को प्रमाण पत्र देने पर ही भुगतान दिया जाएगा।
2. जब तक पक्षकारों के मध्य, अन्यथा सहमति न हो जाए सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
3. विवादास्पद मदों के संबंध में नियमानुसार 10 से 25 प्रतिशत राशि को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान कर दिया जायेगा।
4. उन मामलों के सम्बन्ध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा, जब वे परीक्षण कर लिये जायेंगे तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होंगे।
5. सामान की आपूर्ति के पश्चात् विभाग को <u>GST बिल ही प्रस्तुत करने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी, साथ ही फर्म के नाम का बैंक खाता/IFSC Code समान होना अनिवार्य है।</u>

34. 1. निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता, क्रेता अधिकारी से आर्डर के प्राप्त होने से अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।
2. परिनिर्धारित क्षति **(Liquidate damage)** के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामलें में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी, जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है।

1.

क	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	**2.5** प्रतिशत
ख	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए	**5** प्रतिशत
ग	आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन–चौथाई अवधिक अवधि के लिए	**7.5** प्रतिशत
घ	विहित अवधि का तीन–चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए	10 प्रतिशत

2. प्रदाय में विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।
3. परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगीं

अतिरिक्त निदेशक
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर

4. यदि प्रदायकर्ता (Supplier) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में उस अधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है, किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा

5. यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

35. <u>**वसूलियां**</u> : परिसमापित नुकसानी, कम सप्लाई टूटफूट रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में रोकी जाएगी। कम सप्लाई टूटफूट रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है, तो परिसमापित नुकसानी **(लिक्वीडेटेड डेमेजेज)** के साथ वसूली उसकी देय राशि क्लेम्स एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी।यदि वसूली करना संभव न हो तो राज. पी.डी.आर.एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाऐगी।

36. **निविदादाताओं का यदि आवश्यक हो तो आयात** लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।

37. **यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो** इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा का संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा, जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप उल्लेखित न किया गया हो।

38. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नही है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने का या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सबके लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता (Supplier) से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

39. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–

(1) यदि भागीदारी फर्म हो, तो भागीदारी विलेख पार्टनर डीड की एक अभिप्रमाणित प्रति।

(2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो, तो पंजीकृत संख्या एवं उसका वर्ष।

(3) एकल स्वामित्व के मामलें में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(4) कम्पनी के मामलें में रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अतिरिक्त निदेशक
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर

40. यदि संविदा के निर्वसन (**Interpertation**) आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पक्षकारों द्वारा मामलें को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (**सोल आर्बिटेटर**) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा।यह उप अधिकारी इस संविदा से सम्बद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

41. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार (**सरकार या निविदादाता**) द्वारा जयपुर राजस्थान में स्थित न्यायालय में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।

किसी भी सामग्री की सप्लाई के लिए :–

1. एक से अधिक फर्मों से अनुबन्ध किया जा सकता है।
2. न्यूनतम टेण्डर की गणना प्रत्येक सामग्री की न्यूनतम दर के आधार पर की जावेगी।

42. ऐसे निविदादाता जो वेबसाईट से बिड डोक्यूमेन्ट डाऊनलोड कर उसे पूर्ण कर कार्यालय में बिड प्रस्तुत करते हैं, उन्हें आवश्यक रूप से अप्रतिदेय राशि रूपये 400/- (बिड फार्म राशि) नकद/बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक आयुक्त, उद्योग, राजस्थान सरकार के नाम बिड फार्म प्रस्तुत करते समय जमा करानी होगी। उक्त राशि के अभाव मे निविदा (बिड) पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

43. बिड डोक्यूमेन्ट का पूर्ण सैट समस्त शर्तों सहित विभाग की अधिकारिक वेबसाईट **www.industries.rajasthan.gov.in.** से डाऊनलोड किया जा सकता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अतिरिक्त निदेशक
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग,
राजस्थान, जयपुर

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन सामानों/मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके मैं/हम बोनाफाईड उत्पादक/थोक विक्रेता/प्राधिकृत सेलर/डीलर/विपणन एजेन्ट हूँ/है या इस प्रकार का कार्य करने का अनुभव रखने वाली संस्था/फर्म है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए, तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो भी की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अतिरिक्त निदेशक
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर

REQUIRED ITEMS

S.No	Proposed Specification	Proposed Quantity	अनुमानित लागत	धरोहर राशि
1.	**All-in-One-Computer**	12	50.00 Lacs	1,00,000
2.	**Multi Functional Laser Printer (Print, Copy, Scan)**	52		
3.	**Notebook**	40		

नोट :– उपरोक्त आईटमों के स्पेसीफिकेशन संलग्न हैं। उक्त आईटमों का अनुमानित व्यय 50.00 लाख रूपये है।

अतिरिक्त निदेशक
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर

बिन्दु संख्या–27(4) के अनुसार सूची

क्र.सं.	सामग्री की वॉरण्टी स्थल का नाम
1.	कार्यालय आयुक्त, उद्योग भवन, जयपुर।
2.	जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर
3.	जिला उद्योग केन्द्र, अलवर
4.	जिला उद्योग केन्द्र, बांसवाड़ा
5.	जिला उद्योग केन्द्र, बांरा
6.	जिला उद्योग केन्द्र, बाड़मेर
7.	जिला उद्योग केन्द्र, भरतपुर
8.	जिला उद्योग केन्द्र, भीलवाड़ा
9.	जिला उद्योग केन्द्र, भिवाड़ी
10.	जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर
11.	जिला उद्योग केन्द्र, बूंदी
12.	जिला उद्योग केन्द्र, चित्तौड़गढ़
13.	जिला उद्योग केन्द्र, चूरू
14.	जिला उद्योग केन्द्र, दौसा
15.	जिला उद्योग केन्द्र, धौलपुर
16.	जिला उद्योग केन्द्र, डूंगरपुर
17.	जिला उद्योग केन्द्र, हनुमानगढ़
18.	जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (शहर)
19.	जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (ग्रामीण)
20.	जिला उद्योग केन्द्र, जैसलमेर
21.	जिला उद्योग केन्द्र, जालौर
22.	जिला उद्योग केन्द्र, झालावाड़
23.	जिला उद्योग केन्द्र, झुन्झुनूं
24.	जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर
25.	जिला उद्योग केन्द्र, करौली
26.	जिला उद्योग केन्द्र, कोटा
27.	जिला उद्योग केन्द्र, नागौर
28.	जिला उद्योग केन्द्र, पाली
29.	जिला उद्योग केन्द्र, फलौदी
30.	जिला उद्योग केन्द्र, प्रतापगढ़
31.	जिला उद्योग केन्द्र, राजसमंद
32.	जिला उद्योग केन्द्र, सवाईमाधोपुर
33.	जिला उद्योग केन्द्र, सीकर
34.	जिला उद्योग केन्द्र, सिरोही
35.	जिला उद्योग केन्द्र, श्रीगंगानगर
36.	जिला उद्योग केन्द्र, टोंक
37.	जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर

अतिरिक्त निदेशक
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर

Annexure - "A"

(1) All-in-One-Computer

Parameters	Specifications
Make and Model	
Form Factor	All-in-One
Operating System	Microsoft Windows 10 Professional 64 -bit or latest with OEM recovery partition
Processor	Intel(R) Core™ i5 8500T, 2.1 GHz base frequency Up to 3.5 GHz max. turbo frequency, 9 MB cache, 6 cores
Chipset	Intel Q370 Chipset
Motherboard	OEM Motherboard
RAM/ Memory	4 GB DDR4, 2666 MHz or higher, upgradable up to minimum 32 GB with minimum 2 DIMM slots.
Graphics	Integrated HD graphics
Hard Disk	Min. 1 TB SATA 7200 RPM SMART IV or equivalent.
Wireless Communication	Integrated wireless with Bluetooth
Monitor	20" or higher with minimum resolution of 1600x900 or better with 1 MP HD webcam or better.
Mouse	OEM Optical Scroll Mouse
Keyboard	OEM USB keyboard
Ports	Min 4-USB 3.1, at least 1 USB Type-C, 1 Display port, 1 HDMI/ DP/ VGA port
Power Cable	Required power cable for connecting PC to existing UPS.
LAN	Integrated Gigabit Ethernet LAN 10/ 100/ 1000 (RJ45)
Antivirus	MacAfee/Norton/Kaspersky/Quick heal/Sophos Internet security Antivirus (Latest Version) With minimum three years Subscription (OEM support, updates, upgrades & Patches).
Certification	FCC/ UL or Equivalent certification for AIO
	Energy Star compliant, EPEAT INDIA REGISTERED, ROHS
	Windows 10 Certified ISO 9001, 14001, 20001, 27001 for OEM

Warrenty :- On site Minimum – 3 Years

अतिरिक्त निदेशक
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग,
राजस्थान, जयपुर

Multi Functional Laser Printer
Technical Specifications

PARAMETER	SPECIFICATIONS
Functions	Print, Scan, Copy
Print Technology	A3/A3 Monocrome Laser with Duplex & Separte Toner and Drum
Max Print & copy size	A3/A3
Print Speed	20 PPM or Higher
Copy Speed	20 CPM or higher
Scan Speed	Minimum 12 ppm
Print Resolution	600x 600 dpi or higher
Scan Resolution	600x 600 dpi (color) or higher
Zoom	25 % to 400%
Continuous copy	Max. 999 copies
Duty Cycle	20,000 pages or higher
Yield of Cartridge	average 18000 - 20,000 copies
Processor speed	400 Mhz
Scanner Type	Flatbed A3
Print Language standards	Standard Printer Languag, PCL
Connectivity	USB, Ethernet-10Base-T/100 Base-TX, Wi-Fi
Memory	320 MB or Higher
Paper Tray	250 Sheets (A3), Universal Type
Number of Print Cartridge	1 With MFD
Accessories	All necessary connecting chords and cables
Support	On line and On site support
BIS Registration	Yes
Compatibility	Windows 7 (32/64 bit) or higher
Energy Star Certification	Yes

Warrenty :- **On site Minimum – 3 Years**

अतिरिक्त निदेशक
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर

(3) Notebook

Parameter	Specifications
Processor	Intel® Core™ i5 (8 generation) quad core, with minimum 1.6 GHz or higher, cache 6 MB OR Equivalent AMD Ryzen 5 PRO, quad core, with minimum 1.6 GHz or higher, Cache 6 MB
Hard Disk Drive Size	1 TB, 5400 RPM SATA Drive
RAM	8 GB DDR 4 RAM, 2400 MHz, Expandable upto 32 GB
Graphics Type	Integrated HD Graphics
Monitor	14" diagonal +/-5% LED-backlit (1920x1080 resolution)or higher
Wi-Fi Connectivity	Integrated wireless 802.11 b/g/n with Bluetooth 4.0
Ethernet Connectivity	10/100/1000 Mbps inbuilt Ethernet card
Ports	Minimum 2 USB 3.0 or higher, 1 USB Type C, 1 VGA, 1 HDMI, 1 RJ-45/Ethernet-1, Headphone/microphone combo, Card reader, SD reader
Speakers & Microphone	Integrated speakers and microphone
Security	Integrated fingerprint reader
Optical Drive	Internal DVD-RW
Webcam	Integrated minimum 720p webcam
Battery	Li-Ion/Li-Polymer, internal battery with minimum 6 hours backup time
Operating System	Pre-installed Genuine OEM Microsoft Windows 10 Professional (64-bit) with OEM recovery partition
AC Adapter	Standard Indian adapter
ROHS Compliance	Yes
Certification	EPEAT, UL/ FCC compliance, EPEAT, Energy Star, certified for supplied OS.
BIS Registration	yes
Keyboard	Spill resistant keyboard with gesture support
Carry Case	OEM backpack
Internet Security	MacAfee/ Norton/ Kaspersky/ Quick heal/ Sophos/ Trend Micro Internet Security S/W (3 Years subscription)

Warrenty :- On site Minimum – 3 Years

अतिरिक्त निदेशक
कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर